संख्या– 3688 (2)/71–2–2016–81/2016

प्रेषक,

अरिन्दम् भट्टाचार्य,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,
उत्तर प्रदेश।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग–1 लखनऊःदिनांक 24 सितम्बर 2016

विषय– 15 प्रतिशत अखिल भारतीय कोटे की नीट यू0पी0 2016 की प्रथम डी0–नोवो काउंसिलिंग के माध्यम से रिक्त सीटों की सूचना उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में सूचित करना है कि रिट याचिका संख्या–652/2016 सुभाष कुमार बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में मा0 उच्चतम् न्यायालय द्वारा दिनॉक–23.9.2016 को पारित आदेशों के क्रम में 15 प्रतिशत अखिल भारतीय कोटा की सीटें तत्काल प्रभाव से राज्य को वापस किये जाने के आदेश दिये गये है।

शासनादेश **संख्या–3688(1)/71–2–2016–81/2016 दिनॉक–18.9.2016** में निर्धारित समय–सारणी के अनुसार राजकीय कालेजों हेतु यू0पी0 नीट, 2016 की द्वितीय चक्र की काउंसिलिंग दिनॉक–26 सितम्बर, 2016 से 28 सितम्बर, 2016 तक आयोजित करायी जानी है। द्वितीय चक्र की काउंसिलिंग हेतु ऑन–लाईन पंजीकरण की सुविधा भी दिनांक 25.9.2016 तक के0जी0एम0यू0, लखनऊ की वेब–साईट पर संचालित है।

2– अतः इस सम्बन्ध में आपको को निर्देशित किया जाता है कि मेडिकल/डेण्टल कालेजों में अखिल भारतीय कोटे की रिक्त सीटों की सूचना आज दिनांक 24.9.2016 को सायं 5:00 बजे तक तथा नीट यू0पी0 2016 की प्रथम डी0नोवो काउंसिलिंग के माध्यम से प्रवेशित/अप्रवेशित छात्रों की सूचना आवंटन सूची पर स्पष्ट रूप से अंकित कराते हुये दिनांक 25.9.2016 की सायं 5:00 बजे तक सम्बन्धित कालेजों के प्रधानाचार्यो के हस्ताक्षर सहित ई–मेल के माध्यम से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। सूचनीय है कि दिनॉक–25.9.2016 को सायंकाल–05.30 बजे काउंसिलिंग बोर्ड की बैठक में उक्त सूचना के आधार पर द्वितीय चक्र हेतु सीट–चार्ट अनुमोदित कराया जायेगा।

3– समस्त काउंसिलिंग केन्द्रों के प्रधानाचार्यों को विशेष निर्देश दिये जातें है कि राजकीय एवं निजी कालेजों में आवंटन/प्रवेश हेतु सीटों की अधिक संख्या एवं समयाभाव के दृष्टिगत् अपने–अपने सम्बन्धित केन्द्रों पर विशेष प्रशासनिक सुविधाऍ एवं प्रबन्धन सुनिश्चित करें जिससे

कि दिनॉक–30.9.2016 तक निर्धारित समय–सारणी के अनुसार प्रवेश की समस्त प्रक्रिया पूर्ण कर ली जाए। किसी विशेष काउंसिलिंग केन्द्र पर यदि उपलब्ध व्यवस्था अपेक्षानुरूप नहीं पायी जाती है तथा इसके कारण काउंसिलिंग में गति–अवरोध उत्पन्न होती है तो उस केन्द्र को तत्काल काउंसिलिंग से डी–लिंक किये जाने का निर्णय भी लिया जा सकता है। ऐसी दशा में छात्रों की असुविधा एवं अन्य कठिनाईयों हेतु सम्बन्धित प्रधानाचार्य एवं केन्द्र प्रभारी स्वयं जिम्मेदार होंगे।

भवदीय,

(अरिन्दम् भट्टाचार्य)
विशेष सचिव।

संख्या– (1)71–2–/2016 तद्‌दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश।
2. प्रमुख सचिव, गृह विभाग/प्राविधिक शिक्षा विभाग/न्याय विभाग/वित्त विभाग/उच्च शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
3. प्रमुख सचिव/सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश।
4. प्रमुख स्टाफ आफीसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश।
5. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उत्तर प्रदेश को इस आशय से प्रेषित कि कृपया उक्त निर्देशों से समस्त संबंधितों को आज ही संसूचित करने हेतु समस्त आवश्यक कार्यवाही एंव प्रबन्धन सुनिष्चित करने का कष्ट करें।
6. कुलपति, किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ।
7. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अरिन्दम् भट्टाचार्य)
विशेष सचिव।

vishal/DTSC/CPMT/2016/NEET/counselingwisefolder/2nd couns.